रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2013/श्रावण 28, 1935

No. 416] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2013/SHRAVANA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 557(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनंतिम कुर्की आदेश के जारी होने और तामील होने से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अनंतिम कुर्की आदेश का जारी होना) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) ''न्याय निर्णायक प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया न्याय निर्णायक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''तत्स्थानी विधि'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (झक) में है;

(ङ) ''निदेशक'' से अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है;

(च) ''अपराध के आगम'' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (प) में समनुदेशित है;

(छ) ''अनंतिम कुर्की आदेश'' से अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा (1) के अधीन पारित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ज) 'अनुसूची' से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(झ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में समनुदेशित हैं ।

3. अनंतिम कुर्की आदेश के जारी होने की रीति- (1) जहां निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का अपने कब्जों में की सामग्री के आधार पर विश्वास करने का यह कारण है कि धन-शोधन में अंतर्वलित अपराध या संपत्ति के आगमों को अनंतिम रूप से कुर्क किया जाना है वहां उक्त अधिकारी अनंतिम कुर्की आदेश करेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, सभी संबद्ध व्यक्तियों और न्याय निर्णायक प्राधिकरण को जिनमें संपत्तियों का कब्जाधारी व्यक्ति सम्मिलित हैं, अनंतिम कुर्की आदेश की एक प्रति को पृष्ठांकित करेगा ।

(3) अनंतिम कुर्की आदेश की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी-

(क) स्वामी या व्यक्ति को अनंतिम या कुर्की आदेश का परिदान करके या निविदत्त कर के ; या

(ख) यदि उसका ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदत्त नहीं किया जा सकता है तो ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को परिदान करके ; या

(ग) यदि, स्वामी या व्यक्ति उस समय निवास से अनुपस्थित है जब अनंतिम कुर्की आदेश की तामील उस पर प्रभावी की जा रही हो और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास में पाए जाने की संभावना नहीं है और उसने अपने निमित्त तामील को स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं किया है तो तामील ऐसे स्वामी या व्यक्ति के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य को की जाएगी जो उसके साथ निवास कर रहा है ; या

(घ) यदि तामील, खंड (क) से खंड (ग) में यथा उपबंधित रीति से प्रभावी नहीं हो सकती है तो तामील करने वाला अधिकारी परिसर के कुछ सहजदृश्य भागों पर उसी अनंतिम कुर्की आदेश की द्वितीयक प्रति लगाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति या स्वामी निवास करता है या अंतिम बार निवास किए जाने के लिए ज्ञात है या उसने कारबार किया है या व्यैक्तिक रूप से कार्य करता है या अभिलाभ के लिए कार्य किया है और यह कि इसकी लिखित रिपोर्ट को दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जाएगी ।

(4) यदि उपनियम (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन अनंतिम कुर्की आदेश की तामील नहीं की जा सकती है, तब उस क्षेत्र से व्यापक प्रसार वाले या उस अधिकारिता में जिसमें व्यक्ति निवास करता है या अंतिम निवास करने के रूप में या कारबार करने या वैयक्तिक कार्य करने के लिए ज्ञात है या उसने अभिलाभ के लिए अंतिम बार कार्य किया है, उसकी अग्रणी समाचार पत्र (स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में) में प्रकाशित करके तामील की जाएगी

(5) ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वामी या व्यक्ति को अनंतिम कुर्की आदेश, इसके अतिरिक्त और साथ ही उसके निवास के स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या वह स्थान

जहां उसने कारबार किया है या व्यैक्तिक रूप से कार्य किया है या अंतिम बार अभिलाभ के लिए कार्य किया है पर, परिदान के सबूत सहित त्वरित डाक द्वारा भेजा जा सकता है ।

4. निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों को अनंतिम कुर्की के आदेश की तामील-

(1) (क) निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों आदि पर अनंतिम कुर्की का आदेश निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों आदि के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या प्रधान अधिकारी पर तामील करके या भारत में ऐसे निकायों के मुख्य अधिकारी को संबोधित त्वरित डाक द्वारा पत्र भेज कर प्रभावी किया जाएगा, जिससे मामले की तामील को प्रभावी किया जाना समझा जाएगा ;

(ख) यदि खंड (क) में यथाउपबंधित तामील प्रभावी नहीं हो सकती है तो तामील अधिकारी उस परिसर, जिसमें निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास आदि के कार्यालय कारबार करते हैं या अंतिम बार कारबार कर चुके हैं, के कुछ सहजदृश्य भागों पर अनंतिम कुर्की आदेश की एक द्वितीयक प्रति लगाएगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अनंतिम कुर्की के आदेश की तामील नहीं की जा सकती है, तब उस क्षेत्र या अधिकारिता, जहां निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास आदि कारबार करते हैं या अंतिम बार कारबार कर चुके हैं, वाले व्यापक प्रसार वाले अग्रणी समाचार पत्र (स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में) में प्रकाशित करके तामील की जाएगी ।

5. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[अधिसूचना सं. 9/2013/फा. सं. पी. 12011/4/2012-एसओ(ईएस प्रकोष्ठ)]
बिप्लब कुमार नसकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th August, 2013

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (aa) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the issuance and service of provisional attachment order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Issuance of Provisional Attachment Order) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
(b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;
(c) "Authorized Officer" means an officer not below the rank of Deputy Director authorized by the Director for the purpose of section 5 of the Act;
(d) "corresponding law" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ia) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
(e) "Director" means the Director appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act;
(f) "Proceeds of Crime" shall have the same meaning as assigned to it in clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
(g) "Provisional Attachment Order" means an order passed under sub-section (1) of section 5 of the Act;
(h) "Schedule" means the Schedule to the Act; and
(i) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of issuance of provisional attachment order.- (1) Where the Director or any officer authorised in this behalf has reason to believe on the basis of material in his possession that the proceeds of crime or the property involved in money-laundering has to be provisionally attached, the said officer shall make a provisional attachment order.

(2) The authorized officer shall endorse a copy of the provisional attachment order to all concerned including the persons in possession of the properties and the Adjudicating Authority.

(3) The service of provisional attachment order shall be served in the following manner:-

(a) by delivering or tendering the provisional attachment order to the owner or person; or

(b) if it cannot be delivered to such owner or person, by delivering it to the person duly authorised by such owner or person; or

(c) if the owner or person is absent from his residence at the time when service of the provisional attachment order is being effected on him, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and he has not duly authorised any person to accept the service on his behalf, service may be made on any adult member in the family of such owner or person who is residing with him; or

(d) if the service cannot be effected as provided in clauses (a) to (c), the serving officer shall affix one of the duplicate of the provisional attachment order at some conspicuous part of the premises in which the person or owner resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that the written report thereof shall be witnessed by two persons.

(4) If the provisional attachment order cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-rule (3), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(5) Notwithstanding anything contained above, the provisional attachment order to the owner or person, in addition to and simultaneously may be sent by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.

4. Service of provisional attachment order on corporate bodies, societies and trusts etc. -

(1) (a) The provisional attachment order on corporate bodies, societies and trust etc. shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected;

(b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the provisional attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

(2) If the provisional attachment order cannot be served under sub-rule (I), then by publishing it in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc. carries on business or have last carried on business.

5. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and in this regard, the decision of the Central Government shall be final.

[Notification No. 9/2013/F. No. P. 12011/4/2012-SO (ES Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 558(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (डब) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्क की गई या रोकी गई संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया और रीति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुर्क की गई या रोकी गई संपत्तियों को कब्जे में लेना) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** -

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्याय निर्णायक प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "कुर्की" से अधिनियम से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा संपत्ति का अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन या संचलन का प्रतिषेध अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ड.) "प्ररुप" से इन नियमों से सलग्न "प्ररुप" अभिप्रेत हैं ;

(च) "रोका जाना" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन रोका गया अभिलेख या रोकी गई संपत्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "आदेश" से इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम, में क्रमशः दिए गए हैं ।

3 **कब्जे से संबंधित प्रक्रिया** - जहां अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का कोई आदेश या धारा 17 या धारा 18 के अधीन संपत्ति का प्रतिधारण या अभिगृहीत या रोके गए अभिलेख को धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट किया गया है वहां निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी इन नियमों में विहित रीति में संपत्ति या अभिलेख को कब्जे में तुरंत लेगा ।

4. **जंगम संपत्ति को कब्जे में लेने की रीति** - (1) जहां अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति जंगम संपत्ति है. वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति का वास्तविक कब्जा लेगा और ऐसी संपत्ति उसे भांडारगार या भंडारस्थल में जमा करेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय होने के लिए दायी है या इसके अनुरक्षण के व्यय की इसके मूल्य से अधिक बढ़ जाने की संभावना है वहां प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति, संबद्ध विशेष न्यायालय या न्याय निर्णायक प्राधिकरण की इजाजत से ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा और विक्रय आगमों को निकटतम सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या इसकी समनुषंगियों या किसी राष्ट्रीकृत बैंक में नियतकालिक निक्षेप में जमा करेगा और उसकी पावती का प्रतिधारण करेगा ;

परंतु जहां संपत्ति का स्वामी, संपत्ति के मूल्य के समतुल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में, प्रवर्तन निदेशक के नाम से नियतकालिक निक्षेप की प्राप्ति प्रस्तुत करता है वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूति के रुप में ऐसे नियतकालिक निक्षेप को स्वीकार तथा प्रतिधारण कर सकेगा और जानकारी तथा समुचित कार्यवाही के लिए यथास्थिति विशेष न्यायालय या न्याय निर्णायक प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्ट भेजेगा ;

परंतु यह और कि जहां जंगम संपत्ति किसी वर्णन के प्रवहण के ढंग में है वहां प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति, मोटर अनुज्ञापन प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात प्रवर्तन निदेशक के नाम से प्रतिभूति के रुप में जंगम संपत्ति के मूल्य के लिए राष्ट्रीय बैंक या समतुल्य की नियतकालीन पावती स्वीकार और प्रतिधारित कर सकेगा और उसकी रिपोर्ट जानकारी और समुचित कार्यवाही के लिए यथास्थिति विशेष न्यायालय या न्याय निर्णायक प्राधिकरण को भेजेगा ।

(3) जहां न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति, नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों या बुलियन या आभूषण अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं, वहां प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगियों या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रवर्तन निदेशक के नाम से या नियतकालिक निक्षेप की पावती के रुप में लॉकर में जमा कराएगा और सभी पावती का प्रतिधारण करेगा ।

(4) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति शेयरो, डिबेंचरों. पारस्परिक निधि की यूनिटों के रुप में है वहां प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे शेयरो, डिबेंचरों. पारस्परिक निधि की यूनिटों या लिखतों को प्रवर्तन निदेशक के पक्ष में अंतरित कराएगा ।

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट संपत्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था में धन के रुप में रखी है वहां प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति बैंक या वित्तीय संस्था को प्रवर्तन निदेशालय के खाते में धन का अंतरण और जमा करने के लिए निदेश देगा ।

5. **स्थावर संपत्ति का कब्जा लेने की रीति** - (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट स्थावार संपत्ति, भूमि भवन, गृह, फ्लैट आदि के रुप में है, वहां उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले रजिस्ट्रार को अंतिम कुर्की आदेश के साथ नोटिस जारी की जाएगी और ऐसी कुर्की की पुष्टि करने वाले न्याय निर्णायक प्राधिकरण के आदेश द्वारा रजिस्ट्रार से यह अपेक्षी रहेगी कि वह अगले आदेशों तक ऐसी संपत्ति में किसी हित का अंतरण या सृजन न करे और कुर्की को पुष्ट करने वाले आदेश की एक प्रति संपत्ति के सदृश भाग में चिपकाई जाएगी ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट स्थावार संपत्ति, भूमि, भवन, गृह, फ्लैट आदि के रुप में है, और स्वामी द्वारा अधिभोग में है, वहां प्राधिकृत अधिकारी दस दिन की बेदखली की सूचना जारी करेगा जिससे कि व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के अधिभोग से रोका जा सके और ऐसी नोटिस के जारी होने के पश्चात् यदि परिसर को अनुबद्ध समय के भीतर खाली नही किया जाता है तो ऐसे अधिभोगी को बेदखल किया जाएगा और अधिनियम की धारा 54 के निबंधनो में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता मांग कर कब्जा लिया जाएगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट स्थावार संपत्ति, भूमि भवन, गृह फ्लैट आदि के रुप में है और पट्टे या किराए पर किसी अन्य पक्षकार को दी गई है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में संदेय डिमांड ड्राफ्ट के रुप में पट्टे की रकम या संदाय करनेके लिए अधिभोगी को निदेश देगा ।

(4) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट स्थावार संपत्ति, भूमि, भवन, गृह फ्लैट आदि के रुप में है और किसी अन्य पक्षकार को पट्टे या किराए पर दी गई है वहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है वहां प्राधिकृत अधिकारी परिसर खाली कराने के लिए अग्रसर होगा और अधिनियम की धारा 54 के निबंधनों में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता मांग कर कब्जा लिया जाएगा ।

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्ट स्थावर संपत्ति भूमि, भवन, गृह फ्लैट आदि के रुप में है और संयुक्त स्वामित्वाधीन हैं वहां प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राक्कलित संपत्ति में संबद्ध व्यक्ति के शेयर के मूल्य की सीमा तक नियतकालिक निक्षेप समतुल्य मूल्य को धन-शोधन में अंतवर्लित होने के लिए स्वीकार कर सकेगा ।

(6) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उत्पादक आस्ति या किसी स्थापन के रुप में है जो माल का उत्पादन कर रहा है या कारखाना आदि है और जहां विनिर्माण प्रक्रिया या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वहां प्राधिकृत अधिकारी संबद्ध स्थापन या कारखाने के भारसाधक व्यक्ति को निदेश के साथ कब्जा ले सकेगा जिसमें सकल आय और कोई अन्य धनीय फायदे जो उससे उदभूत होंगे उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के खाते में जमा किया जाएगा ।

6. **नोटिस की तामील का ढंग** - (1) प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों से संलग्न प्ररुप 1 में स्थावर संपत्ति का कब्जा लेने के लिए सभी संबध पक्षकारों को नोटिस की तामील करेगा और उसे संपत्ति के सदृश भाग में लगाया जाएगा और उसका स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा भी तामील की जाएगी ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी वह संपत्ति जो उत्पादक आस्ति की प्रकृति की है, का कब्जा लेने के लिए प्ररुप 2 में सभी संबद्ध पक्षकारों को नोटिस की तामील करेगा और उसे संपत्ति के सदृश भाग पर चिपकाएगा और ऐसी नोटिस को स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा ।

7. **न्यायालय की अभिरक्षा में पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति** - (1) जहां पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति किसी न्यायालय की अभिरक्षा में हो वहां प्राधिकृत अधिकारी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी अनंतिम कुर्की आदेश की एक प्रति और न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन आदेश की एक प्रति प्रदान करके ऐसे न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन में एक अनुतोष अंतर्विष्ट होगा कि ऐसी संपत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में जारी किया जा सकता है ।

8. **बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि को भाराक्रांत या बंधक या गिरवी में पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति** - जहां पुष्ट कुर्क संपत्ति किसी बैंक, वित्तीय संस्था आदि को भाराक्रांत या बंधक या गिरवी है वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बैंक वित्तीय संस्थाओं आदि को निदेश देगा कि ऐसी संपत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश का प्राधिकृत अधिकारी के अगले आदेशों के अधीन प्रतिधारण किया जाएगा ।

9. **पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति के लिए रजिस्टरों का अनुरक्षण** - (1) प्राधिकृत अधिकारी, स्थावर संपत्ति की बाबत प्रविष्टियों के अभिलेखन के लिए प्ररुप 3 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी स्थावर संपत्ति की बाबत प्रविष्टि अभिलिखित करने के लिए प्ररुप 4 में ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ।

10. **निर्वचन** - यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रशन उठता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररुप - 1

(उप नियम, 6 का उपनियम 1 देखें)

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 8की उपधारा 4 के अधीन कब्जा लेने की सूचना

..... स्थित.....से संबंधित स्थावर संपत्ति को.....के उप जोनल/जोनल/प्रादेशिक कार्यालय के उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक.....प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी तारीख..... अनंतिम कुर्की अदेश संख्या ..... द्वारा अधिनियम (2003 का 15) की धारा 5 की उपधारा (1)के अधीन अनंतिम रुपसे कुर्क किया गया है ।

उक्त अंनतिम कुर्की आदेश को मूल पत्र परिवाद सं. .....में तारीख .....के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वरा पश्चातवर्ती रुप से पुष्ट किया गया था ।

अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम (2003 का 15) की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में उपरोक्त संपत्ति के ..... भाग का कब्जा ले लिया है जिसे अगले आदेश होने तक प्रवर्तन निदेशालय के निस्तारण पर होगी और ऐसी संपत्ति को अधिनियम के अधीन और कार्यवाहियों के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अक्षुण्ण रखा जाएगा ; और

अतः मैं .....आदेश करता हूं कि सभी संबद्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक विक्रय, दान, बंधक, गिरवी या अन्यथा कोई अन्य रीति जो हो, द्वारा पूर्वोक्त संपत्ति के अंतरण या भारण से प्रतिषेध किया जाता है या रोका जाता है और सभी व्यक्ति जो हो, और उन्हे एतदद्वारा क्रय, दान, बंधक, गिरवी या जो अन्यथा किसी रीति में हो उसी की प्राप्ति से प्रतिषिद्ध किया जाता है या रोका जाता है ।

इसे तारीख..... 2013 को जारी किया जाता है ।

आदेश द्वारा

( )
उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक
(नाम, पदनाम और शासकीय मुद्रा)
उपजोनल/जोनल/प्रादेशिक कार्यालय

प्ररुप - 2

(नियम, 6 का उपनियम 2 देखें)

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन कब्जा लेन के लिए नोटिस

.. ..से संबंधित स्थावर संपत्ति जो .....पर स्थित है और उक्त संपत्ति जो चालू उत्पादक आस्ति या चालू कारखाने, आदि की प्रकृति की है, उसे उपजोनल/जोनल/प्रादेशक कार्यालय..... के उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अंनतिम कुर्की अदेश संख्या .....तारीख..... द्वारा अधिनियम (2003 का 15) की धारा 5 की उपधारा (1)के अधीन अनंतिम रुप से कुर्क किया गया है ।

मूल परिवाद सं. .....में तारीख .....के आदेश सं0.....द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा उक्त अनंतिम कुर्की आदेश को तत्पश्चात् पुष्ट किया गया था ।

अधिनियम (2003 का 15) की धारा 8 की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुपालन में. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त संपत्ति का आन्वयिक कब्जा ले लिया है जो अगले आदेश होने तक प्रवर्तन निदेशालय के निस्तारण पर होगी और यह कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन और कार्यवाही के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अक्षुण्ण रखी जाएगी और उक्त संपत्ति का प्रभारी अधिकारी या उक्त संपत्तियों से संबद्ध व्यक्ति उसमें उदभूत सकल आय और अन्य फायदे प्रवर्तन निदेशालय के खाते में जमा करेगा ।

अतः मैं .....आदेश करता हूं कि सभी संबद्ध व्यक्तियों को अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक विक्रय, दान, बंधक, गिरवी या अन्यथा जो अन्य रीति हो, द्वारा पूर्वोक्त संपत्ति के अंतरण या भारण से प्रतिषेध किया जाता है या रोका जाता है और सभी व्यक्ति जो हों और उन्हे एतदद्वारा क्रय, दान, बंधक, गिरवी या जो अन्यथा रीति में हो, प्राप्ति से प्रतिषिद्ध या रोका जाता है ।

इसे तारीख..... 2013 को जारी किया जाता है ।

आदेश द्वारा

( )

उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक

(नाम, पदनाम और शासकीय मुद्रा)

उपजोनल/जोनल/प्रादेशिक कार्यालय

प्ररुप-3
(नियम, 9 का उपनियम 2 देखें)

पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति (जंगम) के रजिस्टर का कब्जा ।

1. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेश/रोके जाने की आदेश सं0 ..... तारीख.....की पुष्टि ।

2. संपत्ति के कब्जे की तारीख ।

3. संपत्ति का मूल्य (मात्रा, रकम, प्राक्कलित मूल्य)

4. व्यक्ति (यों) के नाम (मों) और पता (पते)

5. भांडागार/भंडारण स्थान/खजाना या बैंक का नाम और पता जहां संपत्ति सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की गई है ।

6. भांडागार/भंडारण स्थान/खजाना या बैंक में पुष्ट कुर्क की गई संपत्तिके जमा करने की तारीख और समय ।

7. टिप्पणियां ।

(तारीख सहित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षफ)
(नाम, पदनाम और शासकीय रबड़ स्टैंप लगाई जाए)

प्ररुप 4
(नियम, 9 का उपनियम 2 देखें)

पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति (स्थावर)के रजिस्टर का कब्जा ।

1. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेश सं0/रोके जाने के आदेश सं0.....तारीख .....की पुष्टि

2. पुष्ट कुर्क की गई संपत्ति के कब्जों की तारीख ।

3. संपत्ति का वर्णन (मात्रा, रकम, प्राक्कलित मूल्य)

4. व्यक्ति (यों) के नाम (मों) और पता (पते)

5. रजिस्ट्रार/बैंक राज्य/राज्य सरकार के विभागों आदि को जारी पत्र के ब्यौरे

6. टिप्पणियां

(तारीख सहित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षफ)
(नाम, पदनाम और शासकीय स्टांप लगाई जाए)

[अधिसूचना सं. 10/2013/फा. सं. पी. 12011/4/2012-एसओ(ईएस सेल)]
बिप्लब कुमार नसकर, अवर सचिव

3581 GI/13-4

NOTIFICATION

New Delhi, the19th August, 2013

G.S.R. 558(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (ee) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules relating to the procedure and manner of taking possession of attached or frozen properties confirmed by the Adjudicating Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Taking Possession of Attached or Frozen Properties Confirmed by the Adjudicating Authority) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;

(c) "attachment" means prohibition of transfer, conversion, disposition or movement of property by an order issued under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(d) "Authorized Officer" means an officer authorized by the Director under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(e) "Form" means the Forms appended to these rules;

(f) "frozen" means a record or property frozen under sub-section (1A) of section 17 of the Act;

(g) "order" means an order made by the Adjudicating Authority under sub-section (3) of section 8 of the Act; and

(h) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure relating to possession.- Where the provisional order of attachment made under sub-section (1) of section 5 of the Act or order for retention of property or records seized or frozen under section 17 or section 18 has been confirmed by the Adjudicating Authority under sub-section (3) of section 8, the Director or any other officer authorised by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property or record in the manner prescribed in these rules.

4. Manner of taking possession of movable property.- (1) Where the attached property confirmed under sub-section (3) of section 8 of the Act is a movable property, the authorized officer shall take physical possession of such property and deposit it in a warehouse or a storage place.

(2) Where the attached property confirmed by the Adjudicating Authority, is liable to speedy and natural decay or the expense of maintenance is likely to exceed its value, the authorized officer shall sell such property with the leave of the concerned Special Court or Adjudicating Authority, as the case may be and deposit the sale proceeds in the nearest Government Treasury or branch of the State Bank of India or its subsidiaries or in any nationalised bank in fixed deposit and retain the receipt thereof:

Provided that where the owner of the property furnishes the fixed deposit receipt of a nationalised bank equivalent to the value of property in the name of Director of Enforcement, the authorised officer may accept and retain such fixed deposit receipt as security and send a report to the Special Court or Adjudicating Authority, as the case may be, for information and appropriate action:

Provided further that where the movable property is a mode of conveyance of any description, the authorised officer, after obtaining its valuation report from the Motor Licensing Authority or any other authority, as the case may be, may accept and retain the fixed deposit receipt of a nationalised bank equivalent to the value of the movable property as security in the name of Director of Enforcement and send a report to the Special Court or Adjudicating Authority, as the case may be, for information and appropriate action.

(3) Where the attached property confirmed by the Adjudicating Authority consists of cash, government or other securities or bullion or jewellery or other valuables, the authorized officer shall cause to deposit it in a locker in the name of the Director of Enforcement or in the form of fixed deposit receipt, as the case may be, in

State Bank of India or its subsidiaries or in any nationalised bank and retain the receipt thereof.

(4) Where the attached property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of shares, debentures, units of mutual fund or instruments, the authorised officer shall cause to get such shares, debentures, units of Mutual Fund or instruments to be transferred in favour of the Director of Enforcement.

(5) Where the property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of money lying in a bank or a financial institution, the Authorized Officer shall issue a direction to the bank or financial institution, as the case may be, to transfer and credit the money to the account of the Directorate of Enforcement.

5. Manner of taking possession of immovable property.- **(1)** Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of a land, building, house, flat, etc., a notice shall be issued to the Registrar having jurisdiction of the area alongwith the provisional attachment order and order of the Adjudicating Authority confirming such attachment requiring the Registrar not to transfer or create any interest in such property until further orders and a copy of the order confirming the attachment shall be affixed at a conspicuous part of the property;

(2) Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of a land, building, house, flat, etc., and is occupied by the owner, the authorized officer shall issue a notice of eviction of ten days so as to prevent the person from enjoying such property and after issuing of such notice if the premises is not vacated within the stipulated time, such occupant shall be evicted and the possession shall be taken by seeking the assistance of the local Authorities in terms of section 54 of the Act;

(3) Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of a land, building, house, flat, etc., and is given on lease or rent to a third party which is registered in accordance with the provisions of section 17 of the Registration Act, 1908, the authorized officer shall issue a direction to the occupant to pay the lease amount or rent in the form of Demand Draft payable to the Directorate of Enforcement;

(4) Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of a land, building, house, flat, etc., and is given on lease or rent to any third party where the registration is optional in accordance with the provision of section 18 of the Registration Act, 1908, the authorized officer shall proceed to get the premises

vacated and the possession shall be taken by seeking the assistance of local Authorities in terms of section 54 of the Act;

(5) Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form of a land, building, house, flat, etc., and is under joint ownership, the authorized officer may accept the equivalent value of fixed deposit to the extent of the value of the share of the concerned person in the property estimated by the authorized officer, to be involved in money laundering; and

(6) Where the immovable property confirmed by the Adjudicating Authority is in the form or nature of productive asset or an establishment which is producing goods or a factory, etc., and where the manufacturing process or activity is being carried out, the authorized officer may take possession with a direction to the person in-charge of the concerned establishment or factory that gross income and any other monetary benefits which accrue there from shall be deposited in the account of the Directorate of Enforcement.

6. Mode of serving of notice.- (1) The authorized officer shall serve a notice on all the concerned parties for taking possession of immovable property in Form I, appended to these rules and affix the same at conspicuous part of such property and shall also be served by publication in a local newspaper.

(2) The authorized officer, for taking possession of property which is in the nature of productive asset, shall serve a notice on all concerned parties in Form II, appended to these rules and affix the same at conspicuous part of such property and such notice shall also be published in a local newspaper.

7. Confirmed attached property in the custody of court.- (1) Where the confirmed attached property is in the custody of any court, the authorized officer shall make an application to such court by providing a copy of the provisional attachment order issued under sub-section (1) of section 5 and the order under sub-section (3) of section 8 passed by the Adjudication Authority.

(2) The application referred to in sub-rule(1) shall contain a relief that such property and any interest or dividend payable thereon may be released in favour of the Directorate of Enforcement.

8. Confirmed attached property hypothecated or mortgaged or pledged to bank, financial institutions, etc..-Where the confirmed attached property is hypothecated or mortgaged or pledged to any bank, financial institution, etc., the authorised officer shall direct such bank, financial institution, etc., that such property and any interest or dividend payable thereon shall be retained subject to further orders of the authorised officer.

9. Maintenance of registers for confirmed attached property.- (1) The authorized officer shall maintain a register containing the details in Form-III for recording entries in respect of movable property.

(2) The Authorized Officer shall maintain a register containing the details in Form-IV for recording entries in respect of immovable property.

10. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

FORM I
(see sub-rule (1) of rule 6)

Notice for taking possession under sub-section (4) of section 8 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)

Whereas the immovable property bearing _____ _____ situated at _____

has been provisionally attached under sub-section (1) of section 5 of the Act (15 of 2003) vide provisional attachment order No. _____ dated _____ issued by the Deputy Director/Joint Director/Additional Director of the Directorate of Enforcement, _____ Sub-Zonal/Zonal office/Regional office of the _____.

Whereas the said provisional attachment order was subsequently confirmed by the Adjudicating Authority constituted under section 6 of the Act, vide order dated _____ in Original Complaint No. _____.

Whereas, in compliance of the provisions contained under sub-section (4) of section 8 of the Act (15 of 2003), the undersigned has taken possession of property/portion _____ of the aforesaid property, which shall be at the disposal of the Directorate of Enforcement until further order and such property shall be kept intact by all concerned for further proceedings under the Act; and

I, _____ therefore, order that all concerned are hereby prohibited and restrained until further order of the undersigned from transferring or charging the aforesaid property by sale, gift, mortgage, pledge or otherwise in any manner whatsoever and that all persons be and that they are hereby prohibited and restrained from receiving the same by purchase, gift, mortgage, pledge or otherwise in any manner whatsoever.

Issued on this _____ day of _____ 20

By Order

( )
Deputy Director/ Joint Director/Additional Director
(name, designation and office seal)
Sub-Zonal /Zonal/Regional office

FORM II

(see sub-rule (2) of rule 6)

Notice for taking possession under sub-section (4) of section 8 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)

Whereas the immovable property bearing_____ _____ situated at _____ and the said property which is of the nature of productive asset or running factory, etc., has been provisionally attached under sub-section (1) of section 5 of the Act (15 of 2003) vide provisional attachment order No. _____ dated _____ issued by Deputy Director/Joint Director/Additional Director, Directorate of Enforcement, _____ Sub-Zonal/Zonal/Regional Office_____.

Whereas the said provisional attachment order was subsequently confirmed by the Adjudicating Authority constituted under section 6 of the Act, vide order No._____ dated _____ in Original Complaint No. _____.

Whereas, in compliance of the provisions contained in sub-section (4) of section 8 of the Act (15 of 2003), the undersigned has taken constructive possession of said property, which shall be at disposal of the Directorate of Enforcement until further Order and that such property shall be kept intact by all concerned for further proceedings under this Act, and officer in-charge of the said property or concerned with the property shall deposit the gross income and all other monetary benefits accrued therefrom in the Account of the Directorate of Enforcement.

I, _____therefore, order that all concerned are hereby prohibited and restrained until further order of the undersigned from transferring or charging the aforesaid property by sale, gift, mortgage, pledge or otherwise in any manner whatsoever and that all concerned are hereby prohibited and restrained from receiving the same by purchase, gift, mortgage, pledge or otherwise in any manner whatsoever.

Issued on this _____ day of _____ 2013.

By Order

( )
Deputy Director/ Joint Director/Additional Director
(name, designation and office seal)
Sub-Zonal /Zonal/Regional office

FORM III

(see sub-rule (1) of rule 9)

Possession of Confirmed Attached Property (Movable) Register

1. Confirmation of provisional attachment order / freezing Order No._____ dated_____ issued by Adjudicating Authority under sub-section (3) of section 8 of the Act.
2. Date of possession of property.
3. Description of property (quantity, amount, estimated value).
4. Name(s) and address (es) of the person(s).
5. Name and address of the Warehouse/Storage place/Treasury or Bank where the property is deposited for safe custody.
6. Date and time of deposit of confirmed attached property in the Warehouse/Storage place or Treasury or Bank.
7. Remarks.

(Signature with date of the Authorized Officer)

(Name, designation and official rubber stamp to be affixed)

Form IV

(see sub-rule (2) of rule 9)

Possession of Confirmed Attached Property (Immovable) Register

1. Confirmation of Provisional Attachment Order Number / Freezing Order No. _____ dated _____issued by the Adjudicating Authority under sub-section (3) of section 8 of the Act.
2. Date of possession of confirmed attached property.
3. Description of property (quantity, amount, estimated value).
4. Name(s) and Address (es) of the person(s).
5. Details of letter issued to Registrar/Banks/State Government Departments, etc.
6. Remarks.

(Signature with the date of the Authorised Officer)

(Name, designation and official rubber stamp to be affixed)

[Notification No.10/2013/F. No. P. 12011/4/2012-SO (ES Cell)]
BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

3581 GI/13-6

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 559(अ).-- केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (त),खंड (तत) और खंड (फ)के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (न्याय निर्णायक प्राधिकारी को प्ररुपों, तलाशी और अधिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्याय निर्णायक प्राधिकारी को प्ररुपों, तलाशी और अधिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (न्याय निर्णायक प्राधिकारी को प्ररुपों, तलाशी और अधिग्रहण तथा कारणों और समाग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 के आरंभिक पैरा में "खंड (ण)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात "खंड (तत)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 1 के उपनियम (1) में "और अभिग्रहण" शब्दों के पश्चात् "या रोकने" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल नियमों के नियम 1 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (ग) और खंड (घ) केस्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात, -

'(ग) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) या धारा 18 की उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकारी" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक से अधीनस्थ और निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है'

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ञ) "अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1क) और उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए सामग्री" से अधिनियम की क्रमश: धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी अभिग्रहण या रोके जाने के पश्चात नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है । जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित रिपोर्ट या अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने के लिए ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष फाइल की गई शिकायत या उन मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट को अग्रेषित नहीं किया जाना अपेक्षित है, वहां यथास्थिति, भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी जो कार्यालय या मंत्रालय या विभाग या यूनिट का प्रधान है या कोई अन्य अधिकारी जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को अनुसूचित अपराध का अन्वेषण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त या अन्यथा प्रस्तुत जानकारी की वैसी ही रिपोर्ट सम्मिलित है ।

(iii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ट)' "अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए सामग्री" से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी अभिग्रहण के पश्चात् नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के कब्जे में सामग्री अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत यथास्थिति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित रिपोर्ट या अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने के लिए ऐसे अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष फाइल की गई शिकायत या उन मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट अग्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं है । वहां यथास्थिति, भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी जो कार्यालय या मंत्रालय या विभाग या यूनिट का प्रधान है या कोई अन्य अधिकारी जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को अनुसूचित अपराध का अन्वेषण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त या अन्यथा प्रस्तुत जानकारी की वैसी ही रिपोर्ट सम्मिलित है ;'

5. मूल नियमों के नियम 4 में,—

(i) विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात :-

"4. अभिग्रहण या रोके जाने से संबंधित प्रक्रिया - (1) यथास्थिति, अधिकारी या प्राधिकारी किसी भवन, स्थान, जलयान, या यान या वायुयान की तलाशी के परिणामस्वरुप पाए गए किसी अभिलेख या को रोक सके या अभिग्रहण कर सकेगा ।";

(ii) उपनियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(1क) जहां किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है वहां यथास्थिति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी संपत्ति को रोके जाने के लिए आदेश पारित कर सकेगा तत्पश्चात् ऐसे आदेश को करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाए, ऐसी संपत्ति आंबटित या अन्यथा उस पर लेने देन नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबद्ध व्यक्ति पर की जाएगी ।"।

6. मूल नियम के नियम 8 में पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8 अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2) और धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन तलाशी अभिग्रहण और रोके और अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों की तलाशी के कारणों की एक प्रति न्याय निर्णायक प्राधिकरण को भेजे जाने की रीति । -"।

7. मूल नियमों के नियम 9 के पार्श्व शीर्षक में "तलाशी और अभिग्रहण" के स्थान पर "तलाशी, अभिग्रहण या रोकना" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मूल नियमों के नियम 10 के पार्श्व शीर्षक में "तलाशी और अभिग्रहण" के स्थान पर "तलाशी, अभिग्रहण या रोकना" शब्द रखे जाएंगे ।

9. मूल नियमों में प्ररुप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररुप - 1

(नियम, 3 का उपनियम (1) देखें)

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) के अधीन तलाशी अभिग्रहण और रोके जाने का प्राधिकार .....की प्राधिकार सं0 [वर्ष] तारीख .....

मैं....., [निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक] विश्वास करने का कारण रखता हूं कि -

..... (व्यक्ति का नाम और पूरा पता)

(i) ने ऐसा कार्य किया है जो धन-शोधन को गठित करता है, या

(ii) के कब्जे में धन-शोधन में अंतर्वलित अपराध के आगम है, या

(iii) के कब्जे में धन-शोधन से संबंधित अभिलेख है, और

नीचे अनुसूची में विनिदिष्ट परिसर में ऐसे कतिपय दस्तावेज जिनके अन्तर्गत अपराध के आगम और/या धन शोधन के अभिलेख भी हैं, छुपाए गए हैं, जो मेरी राय में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन अन्वेषण और कार्यवाही कि लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे ।

मैं.....को (प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम और पदनाम) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 17 की उपधारा (1) और इन नियमों के नियम 3 के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों की तलाशी का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

तलाशी का संचालन करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी जिसे इन नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझा जाता है, यथास्थिति, किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करेगा या उसे रोकेगा ।

तारीख .....को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन दिया गया ।

परिसरों की सूची

[निदेशक निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक]
(हस्ताक्षर मुद्रा सहित)

10. प्ररुप - 2 में, -

(i) "अभिग्रहण ज्ञापन" शब्दों के पश्चात् "या रोके जाने का ज्ञापन" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "तलाशी और अभिग्रहण" शब्दों के स्थान पर "तलाशी, अभिग्रहण या रोकने" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) "अभिग्रहीत" शब्द के पश्चात् "या रोकी गई" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(iv) अनुसूची में "अभिग्रहित" शब्द के पश्चात् "या रोकी गई" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(v) टिप्पण में "ज्ञापन" शब्द के पश्चात् "या रोके जाने का ज्ञापन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 11/2013/फा. सं. पी. 12011/4/2012-एसओ(ईएस सेल)]
बिप्लब कुमार नसकर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 445 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 19 (अ)तारीख 7 जनवरी, 2010 द्वारा उनको संशोधित किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the19th August, 2013

G.S.R. 559(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a), clause (m), clause (n), clause (p), clause (pp) and clause (w) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure or Freezing and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Adjudicating Authority, Impounding and Custody of Records and the Period of Retention) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in the opening paragraph, after the word, brackets and letter "clause (o)", the word, brackets and letters "clause (pp)" shall be inserted.

3. In the principal rules, in rule 1, in sub-rule (1), after the words "and Seizure", the words "or Freezing" shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) for clause (c) and clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

3581 GI/13-7

'(c) "authority" for the purposes of sub-section (2) of section 17 or sub section (1A) of section 17 or sub-section (1) of section 18 of the Act means an officer subordinate to the Director and authorized by the Director under sub-section (1) of section 17 or the Central Government under sub-section (1) of section 18 of the Act;';

(ii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :-

'(j) "material for the purpose of sub-section (1A) and sub-section (2) of section 17 of the Act" means the material in possession of the authority, referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 2, after search, seizure or freezing under sub-section (1) of section 17 respectively of the Act, including a report forwarded to a Magistrate under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or a complaint filed before a Magistrate or a court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence; as the case may be, or in cases where such report is not required to be forwarded, a similar report of information received or otherwise submitted by an officer authorized to investigate a scheduled offence to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being Head of the office or Ministry or Department or Unit, as the case may be, or any other officer who may be authorized by the Central Government, by notification, for this purpose;'

(iii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :-

'(k) "material for the purposes of sub-section (2) of section 18 of the Act" means the material in possession of the authority referred to in clause (c) of sub-rule (1) of rule 2, after search and seizure under sub-section (1) of section 18 of the Act including a report forwarded to the Magistrate under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or a complaint filed before the Magistrate or court by a person authorized to investigate the scheduled offence for taking cognizance of such scheduled offence; as the case may be, or in cases where such report is not required to be forwarded, a similar report of information received or otherwise has been submitted by an officer authorized to investigate a scheduled offence to an officer not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or equivalent being Head of the office or Ministry or Department or Unit, as the case may be, or any other officer who may be authorized by the Central Government, by notification, for this purpose;'

5. In the principal rules, in rule 4,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"4. Procedure relating to seizure or freezing.- (1) The officer or the authority, as the case may be, freeze or seize any record or property found as a result of search of any building, place, vessel or vehicle or aircraft.";

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(IA) Where it is not practicable to seize any record or property, the officer or the authority, as the case may be, may pass an order to freeze such property whereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer or the authority making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.".

6. In the principal rules, in rule 8 for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :-

"8. Manner of forwarding of a copy of the reasons and the material relating to search, seizure and freezing under sub-section (2) of section 17 and sub-section (1A) of section 17 of the Act and search of persons under sub-section (2) of section 18 and sub-section (2) of section 20 of the Act to the Adjudicating Authority.-".

7. In the principal rules, in rule 9, in the marginal heading, for the words "search and seizure", the words "search, seizure or freezing" shall be substituted.

8. In the principal rules, in rule 10, in the marginal heading, for the words "search and seizure", the words "search, seizure or freezing" shall be substituted.

9. In the principal rules, for FORM I, the following Forms shall be substituted, namely:-

FORM - I

[See sub-rule (1) of rule 3]

AUTHORISATION FOR SEARCH, SEIZURE AND FREEZING UNDER SUB-SECTION (1) AND SUB-SECTION (1A) OF SECTION 17 OF THE ACT

Authorization Number.....of.....[year] Dated.....

WHEREAS I..... [Director/Additional Director/Joint Director/Deputy Director], have reason to believe that

.....[name and complete address of the person]

(i) has committed an act which constitutes money-laundering, or
(ii) is in possession of proceeds of crime involved in money-laundering, or
(iii) is in possession of records relating to money-laundering, and

certain documents including proceeds of crime and/ or records relating to money laundering, which in my opinion, will be useful for or relevant to the investigation and other proceedings under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) are secreted in the premises specified in the Schedule below.

I hereby authorize ..... [name and designation of the Authority] to conduct the search of the premises specified in Schedule below, under sub-section (1) of section 17 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and rule 3 of these Rules.

The officer so authorized to conduct search shall seize or freeze any record or property, as the case may be, which is considered relevant for the purposes of proceedings under Act as per procedure specified in rule 4 of these rules.

Given under my hand and seal on this ..... day of ..... Two thousand .....

Schedule of Premises

[Director /Additional Director /Joint Director/ Deputy Director]
[Signature with seal]"

10. In FORM II,-

(i) in the heading, after the words "SEIZURE MEMO", the words "OR FREEZING MEMO" shall be inserted;

(ii) for the words "search and seizure", the words "search, seizure or freeze" shall be substituted;

(iii) after the word "seized", the words "or frozen" shall be inserted;

(iv) In the Schedule, after the word "seized", the words "or frozen" shall be inserted;

(v) in Note, after the word "Memo", the words "or Freezing Memo" shall be inserted.

[Notification No.11/2013/F. No. P. 12011/4/2012-SO (ES Cell)]
BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.445 (E), dated the1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 19 (E), dated the 7th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.